

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं० सं०- 5/निदे० (छात्रवृत्ति प्रवे०) 200-26/2018-143

प्रेषक,

निदेशक

सेवा में,

उप सचिव

—सह—

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग।

पटना, दिनांक-०८/०९/२०२६

विषय:—वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत संकल्प संख्या-2907 दिनांक-12.05.2026 के आलोक में 'मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना' के अन्तर्गत अनुसूचित जाति छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रावास अनुदान का लाभ देने के लिए कुल ₹10,00,600/- (दस लाख छः सौ ₹0) मात्र की अतिरिक्त राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत संकल्प संख्या-2907 दिनांक-12.05.2026 के आलोक में "मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना" के अन्तर्गत अनुसूचित जाति छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रावास अनुदान का लाभ देने के लिए स्वीकृत्यादेश सं०-03 दिनांक-08.04.2026 से अनुसूचित जाति के लिए कुल ₹730.00 लाख (सात करोड़ तीस लाख ₹0) मात्र की राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। पुनः स्वीकृत्यादेश सं०-62 दिनांक-27.05.2026 से अनुसूचित जाति के लिए कुल ₹500.55 लाख (पाँच करोड़ पचपन हजार ₹0) मात्र की अतिरिक्त राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। तदनु रूप उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में अनुसूचित जाति के लिए कुल ₹10,00,600/- (दस लाख छः सौ ₹0) मात्र की अतिरिक्त राशि आवंटित की जाती है।

2- आवंटित राशि का व्यय राज्य स्कीम से अनुसूचित जाति के लिए व्यय मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उप मुख्यशीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण, लघु शीर्ष-277-शिक्षा, उपशीर्ष 0101-शिक्षा, विषय शीर्ष-0101.21.01-सामग्री एवं पूर्तियां, मांग संख्या-44-विपत्र कोड संख्या-44-2225012770101 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3- आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग होंगे, तथा इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग होंगे। निकासी पदाधिकारी राशि की निकासी कर वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में विभाग के स्तर पर खाता का संधारण करेंगे।

4- निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी के स्तर से सत्यापित एवं स्वीकृत सूची के आधार पर वित्त विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-3808 दिनांक-02.06.2017 के आलोक में आधार (वित्तीय और सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (Aadhar Targeted delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services, 2016), एवं समय-समय पर निर्गत संकल्प/अनुदेशों के आलोक में विभाग के स्तर पर PFMS के माध्यम से लाभान्वित होने वाले छात्रों के बैंक एकाउंट में राशि का अंतरण करेंगे।

5- संकल्प संख्या-2907 दिनांक-12.05.2026 के आलोक में "मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना" के अन्तर्गत अनुसूचित जाति छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रावास अनुदान का लाभ देने की स्वीकृति के आलोक में राशि व्यय किया जायेगा।

6- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17-4-98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

7- महालेखाकार, बिहार को इस राशि के व्यय से संबंधित अंकक्षण करने का अधिकार होगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार, बिहार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

8- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,


निदेशक

ज्ञापांक-5/निदे० (छात्रवृत्ति प्रवे०) 200-26/2018- 143

दिनांक-08/09/2026

प्रतिलिपि (1) महालेखाकार, बिहार/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पुराना सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) (i) अपर सचिव अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सहायक निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/प्रभारी बजट शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/आई० टी० मैनेजर/संबंधित प्रशाखा पदा०, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ii) सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/सभी संबंधित उप निदेशक, कल्याण/सभी संबंधित जिला कल्याण पदा० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक